

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सचिवदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
खगड़िया ।

विषय-

मुख्यशीर्ष-2211 परिवार कल्याण- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001 निदेशन और प्रशासन- उपशीर्ष-0304 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (आफसेट प्रेस सहित) उपशीर्ष-के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्यांश के तहत विवरणी -I की कुल राशि- 30,00,000/- (तीस लाख) रुपये मात्र आवंटन की स्वीकृति ।


पटना, दिनांक 18/10/2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत मांग सं0-20 विपत्र कोड सं0-20-2211000010304 में वित्तीय वर्ष-2017-18 के लिए राज्यांश के तहत विवरणी -I की कुल राशि-30,00,000/- (तीस लाख) रुपये मात्र आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक-17.04.98 एवं 159 वि0 दिनांक- 20.03.2009 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त एवं कार्यरत कर्मचारियों का ही वेतनादि का भुगतान करेंगे।
4. चालू वर्ष के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के बाद ही आवंटित राशि में से बकाया भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृति एवं न्यायादेश के आलोक में यदि वेतनादि भुगतान का मामला लम्बित हो तो सर्वप्रथम उपलब्ध आवंटन से भुगतान की कार्रवाई करेंगे। इकाई मदवार अद्यतन व्यय विवरणी के साथ संभावित अतिरिक्त आवंटन का इकाई मदवार अधियाचना विहित प्रपत्र में किया जाय।
5. आवंटित राशि का वहन मुख्यशीर्ष-2211 परिवार कल्याण-केन्द्र प्रायोजित योजना-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001 निदेशन और प्रशासन- उपशीर्ष-0304 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (आफसेट प्रेस सहित) उपशीर्ष-के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
6. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया बिहार होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे।
7. जिला स्तर पर संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बिहार अपने अधीनस्थ ए0सी0एम0ओ0 कार्यालय, जिला आर0सी0एच0 कार्यालय एवं जिला मास मिडिया कार्यालय को राशि उपआवंटित करेंगे।
8. आवंटित राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराना तथा महालेखाकार कार्यालय से व्यय एवं प्राप्ति आंकड़ों का त्रैमासिक मिलान अनिवार्य है।

दी.



9. इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अवमाननावाद सं०-1674/2012 के आलोक में आवंटन दिया जा रहा है। अतः पत्र निर्गत होने की तिथि को ही आवंटन की राशि संबंधित कर्मियों के खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जाय। प्रस्तुत मामले में यदि राशि कम होती है तो अन्य आवंटनादेश से भी राशि का सामन्जन करते हुए अनिवार्य रूप से ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भविष्य में अधियाचना के आधार पर मांगी गई राशि का आवंटन ससमय उपलब्ध करा दिया जायेगा।
10. आवंटित राशि से कय संबंधित कार्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-10.02.99, पत्रांक- 142 (9) दिनांक-15.03.01 24(9) दिनांक- 21.05.02 तथा 379(9) दिनांक-16.08.02 के आलोक में सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा।
11. इसकी प्रति महालेखाकर, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन



(सच्चिदानन्द चौधरी),
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक- 51 (12) 9


स्वा०/पटना दिनांक 18/10/2017

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/ कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- संबंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-निदेशक प्रमुख/अपर निदेशक (प०क०)/उप निदेशक (प०क०/प्रशिक्षण/मासमीडिया)/निदेशक (स्थापना), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी-12 लेखा शाखा एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । ।



सरकार के विशेष सचिव ।

-2211-परिवार कल्याण

उपशीर्ष- 00 लघु शीर्ष-001 निदेशन और प्रशासन

उपशीर्ष- 0304-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन

विपद कोड- 20-2211000010304 (राज्यांश)

विवरण-1

वित्तीय वर्ष-2017-2018

राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो / ऑफसेट प्रेस (मुख्यालय) एवं प्रोसीएमओ कार्यालय

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जी०शा०भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	कुल योग-	अन्यकित
1	खगड़िया	3000000		0	0	0	0	3000000	0	0	0	0	3000000	स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-243 (3) दिनांक-22.05.2017 के आलोक में एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अवमाननावाद सं०-1674/2012 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है।
कुल योग:-		3000000	0	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0	3000000	

कुल योग-3000000 / - (तीस लाख) रू० मात्र

51 (12) अ
18/10/17

सरकार के विशेष सचिव
18/10/17

वित्तीय वर्ष-2017-18

विवरण I, II एवं III का व्यय सारांश

क्रमांक	इकाई व्यय	इकाई व्यय	मूल बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो / ऑफिसेट प्रसे (मुख्यालय) एवं ए0सी0एम0ओ0 कार्यालय	आर0 एच0 कार्यालय	जिला मास भिडिया कार्यालय	कुल आवंटन	पूर्व का शेष बजट उपबंध एवं प्रथम अनुपूरक से प्राप्त बजट उपबंध	शेष उपबंध
1	01 01	वेतन	60000000	123160288	3000000	0	0	3000000	285300000	233390000
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	66000000	98409856	0	0	0	0	378100000	347145000
3	01 04	मकान किराया-भत्ता	26000000	30163000	0	0	0	0	40500000	36337000
4	01 05	परिवहन भत्ता	4600000	1406000	0	0	0	0	3730000	3194000
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	4000000	4130000	0	0	0	0	2100000	1970000
6	01 07	अन्य भत्ता	1000000	995500	0	0	0	0	48500	4500
योग वेतन एवं भत्ते			161600000	258264644	3000000	0	0	3000000	709778500	622040500
7	08 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	960000	924000	0	0	0	0	410000	36000
8	11 01	यात्रा व्यय	18000000	1678000	0	0	0	0	632000	122000
9	13 01	कार्यालय व्यय	60000000	1764000	0	0	0	0	4794000	4236000
10	13 03	दूरभाष	1800000	1221000	0	0	0	0	781000	579000
11	13 04	विद्युत प्रभार	8400000	5430000	0	0	0	0	3360000	2970000
12	13 06	वर्दी पोशाक	2600000	1779000	0	0	0	0	821000	821000
13	14 01	किराया एवं महसूल कर	1200000	718000	0	0	0	0	682000	482000
14	20 02	कांफेस कार्याशाला, सीमिनार	200000	0	0	0	0	0	200000	200000
15	20 03	प्रशिक्षण व्यय	840000	0	0	0	0	0	840000	840000
16	21 01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	2400000	1407000	0	0	0	0	1659000	1393000
17	28 01	व्यावसायिक एवं विशेष सेवारं (स्विदा सेवाएं)	2200000	0	0	0	0	0	2200000	2200000
18	51 01	मोटर गाड़ी	5000000	3048000	0	0	0	0	2502000	1952000
19	52 01	भसाने एवं उपस्कर	5000000	2425000	0	0	0	0	2772000	2575000
कुल योग			200000000	278658644	3000000	0	0	3000000	731431500	640446500

कुल योग-30000000 / - (तीस लाख) रु0 मात्र

51 (12) अ
18/10/2017

सरकार के विशेष सचिव
18/10/17